

मध्यप्रदेश विधान सभा

करवरी—अप्रैल, 1995 खंत्र।

विनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 1995 (चैत्र 1, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य बैठन, भत्ता तथा पेन्जन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 820—एक (2) 57 — अड्डालीस — 92 (सं.का.), दिनांक 6 जुलाई, 1994 पटल पर रखेगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकरण

(1) श्री घनश्याम पाटीदार, सदस्य, मंदसौर जिले की जीवाजी राव शुगर मिल, दलोद के प्रबंधकों द्वारा क्य किये गये गते के मूल्य का भुगतान न किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेगे।

(2) डॉ. रमन सिंह, श्री राजाराम लोडेम, सदस्य, बरस्तर जिले के अधिकों को चावल प्रदाय न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

निर्धारित
समय

4. वर्ष 1995-96 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

1 घन्टा	(1) मांग संख्या 11 मांग संख्या 71	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ
1 घन्टा	(2) मांग संख्या 36	परिवहन
1 घन्टा	(3) मांग संख्या 12 मांग संख्या 53	उर्जा विभाग से संबंधित व्यय उर्जा विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ
1 घन्टा	(4) मांग संख्या 43 मांग संख्या 44	खेल और युवक कल्याण उच्च शिक्षा
1 घन्टा	(5) मांग संख्या 39	खाद्य एवं नागरिक उपभोगी विभाग से संबंधित व्यय
30 मि.	(6) मांग संख्या 16	मछली पालन
30 मि.	(7) मांग संख्या 14 मांग संख्या 62	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय पशुपालन विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ
30 मि.	(8) मांग संख्या 15	डेंगो विकास
1 घन्टा	(9) मांग संख्या 37 मांग संख्या 26 मांग संख्या 46 मांग संख्या 38 मांग संख्या 50	पर्यटन संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय विज्ञान और टेक्नोलॉजी रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 (क्रमांक 3 सन् 1995) का पुरस्तापन* करेगे।

भोपाल :
दिनांक : 20 मार्च, 1995

शीला खजा
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

* मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात्।